संख्या-938/2017/2872/22-2-2017-17(48)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दान सहाय पुत्र श्री लक्ष्मन, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38242/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.05.2017) दिनांक 24.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दान सहाय पुत्र श्री लक्ष्मन, जो इदरीशपुर, थाना-दोघट, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी ने वर्ष 1962 लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 21-01-1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गडासा, भाला से मारकर हत्या कर दी तथा गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारो से मारकर हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-मेरठ के आदेश दिनांक 23.12.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.04.2017 तक 13 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त फार्म-ए पर रिहा तथा 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने वर्ष 1962 में लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 21-01-1977 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गडासा, भाला से मारकर हत्या करने तथा गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारो से मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दान सहाय पुत्र श्री लक्ष्मन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दान सहाय (बन्दी संख्या-10880) पुत्र श्री लक्ष्मन, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-938/2017/2872(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-938/2017/2872/22-2-2017-17(48)/2006

दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दान सहाय पुत्र श्री लक्ष्मन, जो इदरीशपुर, थाना-दोघट, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी ने वर्ष 1962 लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 21-01-1977 को प्रात: लगभग 10:00 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गडासा, भाला से मारकर हत्या कर दी तथा गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारो से मारकर हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-मेरठ के आदेश दिनांक 23.12.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.04.2017 तक 13 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त फार्म-ए पर रिहा तथा 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने वर्ष 1962 में लक्ष्मण की हत्या में नामजद 10-11 व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों को सजा हो जाने को लेकर चली आ रही रंजिश एवं मेड काटने को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 21-01-1977 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर खेत में हुक्का पी रहे जगबन्धन की बल्लम, गडासा, भाला से मारकर हत्या करने तथा गांव में जाकर घेर में खाट पर बैठे रणधीर की उक्त हथियारो से मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दान सहाय पुत्र श्री लक्ष्मन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in